महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 94 वीं बैठक

दिनांक

30 जून, 2018

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर
प्रबन्ध बोर्ड की 94वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांकः- 30 जून, 2018 समयः प्रातः 11:30 बजे

प्रबन्ध बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2018 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. विजय श्रीमाली — अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. प्रवीण माथुर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
3. प्रो. शिव दयाल सिंह — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
4. श्री शंकर सिंह रावत, विधायक — सदस्य
   (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
5. श्री निर्मल सेठी — सदस्य
   (संयुक्त शासन सचिव, आयोजना)
6. डॉ. एम.के. गोखरु — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)
7. श्री आर.के. मीणा, कोषाधिकारी, अजमेर — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)
8. कुलसचिव — सदस्य सचिव

बैठक में निम्नलिखित अनुपस्थित रहे :

1. श्रीमती अलका सिरोही
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित)
2. श्रीमति सुशील कंवर पलाडा, विधायक — सदस्य
   (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
3. रिक्त (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
4. रिक्त (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित)
5. निदेशक, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के नव-नियुक्त कुलपति महोदय का बोर्ड के सदस्यों से परिचय कराया। सदस्यों ने कुलपति महोदय का स्वागत किया एवं आशा व्यक्त की, कि उनके लम्बे प्रशासनिक अनुभवों का लाभ विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा। तत्पश्चात् कुलसचिव ने प्रबन्ध बोर्ड की आगे की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की :-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05.12.2017 को सम्पन्न हुई 93वी बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13(93) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2018/1971-82 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा प्रेषित की गई। प्रो. भारती जैन से कार्यवृत्त के संबंध में टिप्पणी प्राप्त हुई है	शैक्षणिक-I
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि प्रो. भारती जैन से कार्यवृत्त के सम्बन्ध में टिप्पणी प्राप्त हुई है जो प्रो. रीटा मेहरा के अमर्यादित व्यवहार बाबत कार्यवृत से विवरण विलोपित करने से संबंधित है, में निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण विद्या परिषद से संबंधित है, अतः प्रकरण को विद्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे एवं यदि विद्या परिषद से प्रकरण में टिप्णी सही पाई जाती है तो प्रबन्ध बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 के निर्णय संख्या 01 को यथावत् रखा जाए।**	
मद सं. 2	वित्त विभाग राजस्थान सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के संशोधन आदेश संख्या एफ. 6 (3)एफ.डी./रूल्स/2012 पी.टी. जयपुर दिनांक 09 जून, 2017 के क्रम में इस विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियमों में निम्नांकित नियमों में **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)** के अनुसार विचार करना व निर्णय लेना:- 1. Appendix-I Rule 8 (1) 2. Appendix-II Rule 8 (1) 3. Appendix-III Rule 8 (1) 4. Appendix-IV (A) Rule 8 (2) 5. Appendix-IV (B) Rule 8 (1)	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**राजस्थान सरकार के यात्रा भत्ता नियमों में संशोधनों को विश्वविद्यालय में भी प्रवृत्त करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 3	कर्मचारी कल्याण परिषद के द्वारा दिनांक 05.09.2017 एवं 08.09.2017 को दिये गये ज्ञापन के क्रम में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्यों की स्थिति/परिस्थिति को मद्देनजर रखकर अन्य विश्वविद्यालयों में लागू अवकाश व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय में भी अवकाश लागू करने पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**राजभवन से प्राप्त कलैण्डर की पालना करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 4	विद्या परिषद की दिनांक 27.09.2017 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**	
मद सं. 5	विद्या परिषद की दिनांक 07.06.2018 को सम्पन्न हुई 58वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।**	
मद सं. 6	राजस्थान सरकार की निम्नांकित अधिसूचना/परिपत्रों/आदेशों में वर्णित प्रावधानों को विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (जिन्हें यू.जी.सी.	वित्त एवं लेखा

	वेतनमान देय है, को छोड़कर) के लिए इस संशोधन के साथ प्रवृत्त करने पर विचार करना कि "The words 'Governor', 'State Service(s)', 'Government Servent", appeared in these rules and the relevant appendices, schedules shall be read as 'Chancellor', 'University Services', 'University Employees' respectively": (क) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)वित्त (नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पैंशन) नियम 1996 में संशोधन को विश्वविद्यालय में दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)** (ख) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(7)वित्त (नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पैंशन रूपान्तरण) नियम 1996 में संशोधन को विश्वविद्यालय में दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)** (ग) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)वित्त (नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा दिनांक 01-10-2017 से पूर्व के विश्वविद्यालय पैंशनर/पारिवारिक पैंशनर की पैंशन राशि के पुनरीक्षण बाबत नियम को विश्वविद्यालय में दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)** (घ) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(8)वित्त (नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा विश्वविद्यालय पैंशनर्स को मंहगाई राहत प्रदान बाबत नियम को विश्वविद्यालय में दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)** (ड.)राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(9)वित्त (नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पैंशन) नियम 2005 में संशोधन को विश्वविद्यालय में दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-9)** (च) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(9)वित्त/नियम/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (मेड़िकल अटेन्डेन्टस) नियम 2013 को दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-10)** (छ) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(5)वित्त(नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा विश्वविद्यालय पैंशनर्स के लिये चिकित्सा रियायत योजना के निमित्त मासिक अंशदान की कटौती की दर में संशोधन को दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)** (ज) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)वित्त (नियम)/2017 जयपुर दिनांक 30-10-2017 द्वारा राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के संशोधन को विश्वविद्यालय में दिनांक 01-10-2017 से प्रवृत्त करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-12)** (झ) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 2017 दिनांक 30.10.17 के द्वारा राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को विश्वविद्यालय में 01.10.2017 से विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-13)**	

निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
मद सं. 7	कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2017/2100 दिनांक 02.06.2017 द्वारा गठित समिति द्वारा विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर के अनुबंध में प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन के प्रस्तावों पर विचार करके समुचित प्रस्ताव दिये जाने हेतु समिति की बैठक दिनांक 08.11.2017 को आयोजित हुई समिति द्वारा अनुशंषा पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-14)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के योग विभाग में स्थाई शिक्षकों की भर्ती हेतु राज्य सरकार को पद देने हेतु लिखा जावे एवं विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर से 10 वर्षों के लिए एम.ओ.यू. किया जाए।**	
मद सं. 8	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- (1) <u>प्रतिवेदन है कि</u> कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/ 2017/2100 दिनांक 02-06-2017 द्वारा गठित समिति द्वारा विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर से अनुबंध में प्रस्तुत तथ्यातमक प्रतिवेदन के प्रस्तावों पर विचार करके समुचित प्रस्ताव दिये जाने हेतु समिति की बैठक दिनांक 08-06-2017 को आयोजित हुई । समिति ने पूर्व इकरारनामें की अवधि दिनांक 12-06-2017 को समाप्त होने के मध्यनजर रखते हुए दिनांक 16 जून, 1997 के इकरारनामें की शर्तों को ही प्रभावी मानते हुये विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान बैंगलोर से किये गये अनुबंध के आधार पर कार्यरत योग प्रशिक्षकों की कार्य अवधि दिनांक 13-06-2017 से 06 माह बढ़ाये जाने की अनुशंषा की। समिति की अनुशंषा पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 13-06-2017 से 12-12-2017 (06 माह) तक पूर्व इकरारनामें (16 जून, 1997) की शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत दोनों योग प्रशिक्षकों की अवधि बढ़ाने के आदेश प्रदान किये तद्नुसार पाठ्यक्रम समन्वयक, विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, एकनाथ भवन, 19 गवीपुरम सर्किल, के.जी. नगर, बैंगलोर को पत्र क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2017/ 12269 दिनांक 13-06-2017 प्रेषित किया गया, पुष्टि करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-15)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19(4) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2008/51065-134 दिनांक 19-11-2008 जिसमें विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों की विश्वविद्यालय में सेवायें लिये जाने हेतु वर्णित प्रावधानों के बिन्दु संख्या-05 (सेवानिवृत्त शिक्षक एक शैक्षणिक सत्र में एक माह से आठ माह तक (जैसी भी स्थिति हो) आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किये जा सकेंगे) में निम्नानुसार संशोधन किया गया :- "सेवानिवृत्त शिक्षक एक शैक्षणिक सत्र में एक माह से दस माह तक (जैसी भी स्थिति हो) आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किये जा सकेंगे"। इस हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(73)संस्था/ मदसविवि/2017/7071 दिनांक 12-04-2017 जारी किया गया, की पुष्टि करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-16)**	संस्थापन

निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2017, भारत का राजपत्र सं. 237 दिनांक 9 जून, 2017 के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत् प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में पुनः संशोधन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 (National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Amendment) Regulation, 2017) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवृत्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः एफ. 14( )शैक्ष.।।/ मदसविवि/ 2017/23632 दिनांक 02.11.2017 जारी की गई, की पुष्टि करना। (कार्यसूची का परिशिष्ट-17)	शैक्षणिक
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(4) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजकीय कर्मचारियों हेतु घोषित तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु जारी आदेश क्र. एफ.6(5)एफडी(रूल्स)2009 दिनांक 4.10.2017 के अनुरूप विश्वविद्यालय कार्मिकों को भी तदर्थ बोनस का भुगतान किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी कार्यालय आदेश क्र.एफ.6(विवले)/ मदसवि/2017/2281 दिनांक 10.10.2017 जारी किया, की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-18)**	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(5) **<u>प्रतिवेदन है कि</u>** राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान राजकीय कर्मचारियों हेतु समय समय पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के महंगाई भत्ते नियमों के नियम 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत किए जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से निम्नांकित तीन आदेश जारी किए, की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है:-	वित्त एवं लेखा

क्र. सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई	संशोधित दर
1.	F.6(41)A&F/MDSU/ 2016/28895-944 dt.21.11.2016	दि0 01.07.2016 से	125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत
2.	F.6(41)A&F/MDSU/ 2017/7977-8026 dt.19.04.2017	दि0 01.01.2017 से	132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत
3.	F.6(41)A&F/MDSU/ 2017/22918 dt.10.10.2017	दि0 01.07.2017 से	136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत

(कार्यसूची का परिशिष्ठ-19)

निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	

	(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राजस्थान सरकार द्वारा पेंशनर/पारिवारिक पेंशन हेतु समय समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के पेंशनर/पारिवारिक पेंशन हेतु महंगाई राहत की दर में राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय में प्रवृत किए जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से निम्नांकित तीन कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित है:- **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-20)**	वित्त एवं लेखा

क्र. सं.	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत्त हुई	संशोधित दर
1.	F.6(41)A&F/MDSU/ 2016/28945 dt.21.11.2016	दि0 01.07.2016 से	125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत
2.	F.6(41)A&F/MDSU/ 2017/8028-76 dt.19.04.2017	दि0 01.01.2017 से	132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत
3.	F.6(41)A&F/MDSU/ 2017/22955 dt.10.10.2017	दि0 01.07.2017 से	136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत

निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय निविदा सूचना संख्या 03 दिनांक 27.05.2016 एवं निविदा सूचना संख्या 08 दिनांक 17.06.2016 के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कैन्टीन (कैफेटेरिया) के संचालन हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की गई थी । जिसके क्रम में प्राप्त निविदाओं के तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर विश्वविद्यालय क्रय समिति की बैठक दिनांक 26.08.2016 के कार्यवृत के अनुसार विश्वविद्यालय क्रय समिति के द्वारा एक मात्र निविदादाता फर्म मैसर्स विवेक बगडिया एण्ड कम्पनी, ई-44, कान्ता खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर को पात्र पाया गया । अतः क्रय समिति द्वारा पात्र निविदादाता फर्म से दरों के संबंध में नेगोसिएशन पश्चात् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के नियम 68 (II) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त फर्म की नेगोसिएटेड दरों को अनुमोदित किये जाने एवं फर्म को एक वर्ष हेतु केन्टीन संचालन का कार्यादेश दिये जाने की संस्तुति की गई । क्रय समिति की अनुशंषा को माननीय कुलपति महोदय ने दिनांक 30.08.2016 को अनुमोदित किया।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(8) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 08.07.2017 की अनुपालना में सत्र 2017-18 से विभागों एवं विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों (SFS) में हिस्सा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) विवले/ एस.एफ.एस./मदसविवि/2016/1515-1535 दिनांक 24.09.2016 में अंकित हिस्सा 60%-40% के स्थान पर 75%-25% किये जाने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/एस.एफ.एस./मदसविवि/2017 दिनांक 13.12.2017 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-21)**	वित्त एवं लेखा

निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट का माननीय कुलपति महोदय एवं माननीय प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के द्वारा सर्कुलेशन के आधार पर अनुमोदन की पुष्टि करना । <u>स्पष्टीकरण:-</u> विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 (4) के प्रावधानान्तर्गत एवं प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को आयोजित बैठक के मद संख्या 4 (3) के तहत प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा **"भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन समय से तैयार कर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करावें यदि निकट भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक नहीं होनी हो तो सर्कुलेशन के आधार पर कार्यवाही कर राज्य सरकार को भिजवावे ।"** का निर्णय लिया गया है । अतः प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 के प्रारूप का माननीय कुलपति महोदय के प्रारूप का माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 03.02.2018 के पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में आयोजित नहीं होने एवं यथा समय बजट सत्र में विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को भिजवाने से पूर्व समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 के प्रारूप की प्रति ई-मेल द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को इस निवेदन के साथ प्रेषित की गई कि यदि कोई संशोधन किया जाना प्रस्तावित है तो तीन दिवस में कुलसचिव को भिजवाने का श्रम करें । साथ ही पांच प्रतियां माननीय मंत्री महोदया, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के अनुमोदनार्थ भी प्रेषित की गई। निर्धारित अवधि में माननीय सदस्यों से संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । अतः माननीय मंत्री महोदया, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् 325 प्रतियां विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को दिनांक 12.02.2018 को प्रेषित कर दी गई। अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 03.02.2018 एवं प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा प्रदत्त वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन के आदेश एवं वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-22)**	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पर पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी किये गये:- 1. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/4879 दिनांक 22.03.2018 द्वारा श्री लालचंद मूंदडा, सेवानिवृत वरिष्ठ लेखाधिकारी की संविदात्मक आधार पर पुनर्नियुक्ति की अवधि 06 माह तक बढाई गई। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-23)** 2. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/4883 दिनांक 22.03.2018 द्वारा श्री प्रकाश भंभानी, सेवानिवृत सहायक अनुभागाधिकारी की संविदात्मक आधार पर पुनर्नियुक्ति की अवधि 06 माह तक बढ़ाई गई। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-24)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	

	(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त शक्तियों के तहत विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद का कार्यभार प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता द्वारा सम्पादित करने के प्रदान किये गये आदेशों की अनुपालना में कार्यालय ओदश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2018/4908 दिनांक 01.04.2018 जारी किया गया।	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के प्रावधानानुसार माननीय कुलपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों के तहत विश्वविद्यालय में राजस्थान सरकार द्वारा प्रवृत्त राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 को इस विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2016 से नोशनल एवं दिनांक 01.01.2017 से वास्तविक प्रभावी करते हुए अधिसूचनाएं क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2017/ 26822-870 दिनांक28.12.2017 एवं क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2017/ 26872-920 दिनांक 28.12.2017 जारी की गई । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-38 एवं 39)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(13) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय प्रतिवेदित है कि अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पद यथा-निदेशक शोध (अनारक्षित)-01 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष (अनारक्षित)-01 पद, अतिरिक्त कुलसचिव (अनारक्षित)-01 पद, उपकुलसचिव (अनारक्षित)-02 पद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (अनारक्षित)-01 पद की भर्ती हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं अध्यादेश के अनुसार भर्ती से संबंधित कार्य यथा-विज्ञापन तैयार करना, भर्ती प्रक्रिया की शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पदो के अनुरूप योग्यता (अनिवार्य एवं वांछित) आदि तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 17-05-2018 के आदेशानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2018/197 दिनांक 23-05-2018 के द्वारा निम्न सदस्यों की समिति गठित की गई:- 1. प्रोफेसर भारती जैन, विभागाध्यक्ष खाद्य एवं पोषण विज्ञान विभाग 2. प्रोफेसर शिवप्रसाद, प्रबंध अध्ययन विभाग, 3. प्रोफेसर अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र 4. डॉ. अमित कुमार गुप्ता, सहायक कुलसचिव (संस्थापन) समिति की दिनांक 24-05-2018 की अनुशंसाओं को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या संस्था 01/2018 दिनांक 26-05-2018 के द्वारा विज्ञापित कर दिया गया है। अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(14) <u>प्रतिवेदन है कि</u> पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2014/19427 दिनांक 09-09-2014 एवं संशोधन क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2016/4904 दिनांक 06-02-2016 एवं प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 18-01-2016 (89वीं बैठक) के मद संख्या 10 पर लिये गये निर्णयानुसार जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/ 2016/ 9523-60 दिनांक 09-04-2016 के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 05-06-2018 के अनुसार राज्य	संस्थापन

	सरकार कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-II/94 जयपुर दिनांक 11-07-2017 के द्वारा संविदा पर पुनर्नियुक्ति नियमों में किये गये संशोधन विश्वविद्यालय में दिनांक 11-07-2017 से प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु परिपत्र क्रमांक 24563-610 दिनांक 18-06-2018 जारी किया गया। माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में जारी किया गया परिपत्र प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-40)**	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(15) <u>प्रतिवेदन है कि</u> उपकुलसचिव पद के रोस्टर संधारित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 17-05-2018 के तहत प्रदत्त आदेशों की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/169 दिनांक 19-05-2018 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-41)** के द्वारा निम्न सदस्यों की समिति गठित की गई:- 1. प्रोफेसर शिवदयाल सिंह विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग 2. डॉ. पी.सी. पंकज, उपकुलसचिव-शैक्षणिक 3. डॉ. अमित कुमार गुप्ता-सहायक कुलसचिव (संस्थापन) उक्त समिति की दिनांक 22-05-2018 एवं दिनांक 23-05-2018 की अनुशंसाओं को माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया। अतः समिति के गठन के माननीय कुलपति महोदय के आदेश एवं समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पुष्टि हेतु मद प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-42)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(16) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के निम्नलिखित रिक्त पद यथा-**आचार्य** (अनारक्षित) अर्थशास्त्र-01 पद, **आचार्य** (अनारक्षित) विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र-01 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) वनस्पतिशास्त्र-02 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र-01 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) गणित-01 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) प्राणीशास्त्र-02 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) अर्थशास्त्र-01 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) भूगोल-01 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) इतिहास-02 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) राजनीति विज्ञान-02 पद, **सह आचार्य** (अनारक्षित) समाजशास्त्र-01 पद, **सहायक आचार्य** (अनारक्षित) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-01 पद, **सहायक आचार्य** (अनारक्षित) विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र-01 पद, **सहायक आचार्य** (अनारक्षित) प्राणीशास्त्र-01 पद, **सहायक आचार्य** (अनारक्षित) समाजशास्त्र-01 पद, **सहायक आचार्य** (अनारक्षित) भूगोल-01 पद की भर्ती हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं अध्यादेश के अनुसार भर्ती से संबंधित कार्य यथा-विज्ञापन तैयार करना, भर्ती प्रक्रिया की शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पदों के अनुरूप योग्यता (अनिवार्य एवं वांछित) इत्यादि तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त शक्तियों के तहत माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 18-05-2018 के अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/177 दिनांक 21-05-2018 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-43)** के द्वारा निम्नांकित समिति गठित की गई:- 1. प्रोफेसर शिवदयाल सिंह 2. प्रोफेसर आशीष भटनागर 3. डॉ. अमित कुमार गुप्ता सहायक कुलसचिव (संस्थापन) समिति की अनुशंसायें विद्या परिषद की दिनांक 07 जून, 2018 की बैठक में प्रस्तुत की	संस्थापन

	जा चुकी है।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई।**	
	(17) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 04.01.2018 की अनुपालना में विश्वविद्यालय यात्रा भत्ता नियमों से संबंधित संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 ( ) A&F/MDSU/2017/472 Dated 08-01-18 एवं F 6 ( ) A&F/ MDSU/2017/511 Dated 08-01-18 एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.05.2018 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 ( ) A&F/ MDSU/ 2018/22697 Dated 28-05-18 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-44)**	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा आदेशों को विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। ये आदेश प्रबन्ध बोर्ड में प्रतिवेदनीय होंगे।**	
मद सं. 9	श्री दुलीचंद सेवानिवृत भू-अभिलेख निरीक्षक 751/50, खींची हाऊस, भोपों का बाड़ा, अजमेर को पूर्व में कार्यालय आदेश ( )संस्था/मदसविवि/2015/10979 दिनांक 14.03.15 के द्वारा 06 माह के लिए संविदा पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई जिसकी पुष्टि प्रबन्ध बोर्ड की 86वीं बैठक के निर्णय संख्या 03 (15) दिनांक 09.06.2015 द्वारा पुष्टि की गई, इसी क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री दुलीचन्द की संविदा पर पुनर्नियुक्ति की अवधि आगामी आदेशों तक कार्यालय आदेश क्रमांक ( ) संस्था/ मदसविवि/2018/2174 दिनांक 27.01.2018 के द्वारा बढ़ाई गई, जिसकी पुष्टि हेतु मद प्रस्तुत है । साथ ही इस क्रम में श्री दुलीचन्द सेवनिवृत भू-अभिलेख निरीक्षक, खींची हाऊस, भोपों का बाड़ा, अजमेर की संविदा पर पुनर्नियुक्ति और कितनी अवधि तक बढाये जाने के लिए विचार कर निर्णय करना।	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि, श्री दुलीचन्द, सेवानिवृत भू-अभिलेख निरीक्षक को संविदा की शर्तों के तहत् पुरानी दर पर ही सलाहकार रखा जाए।**	
मद सं. 10	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार मार्किंग सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में नीति निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 08.11.2017 को प्रो0 लक्ष्मी ठाकुर, संयोजक महोदया के कक्ष में आयोजित हुई का कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-25)** प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ तथा विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ 1 (38) आर.बी./2015/ 6462 दिनांक 21 अगस्त, 2017 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-26)** के साथ प्राप्त संलग्नक **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-27 एवं 28)** पर क्रमशः पेपर सेटर हेतु मानदेय तथा परीक्षा में वीक्षक केन्द्राधीक्षक आदि परीक्षा कार्यो से जुडे कार्मिकों को मानदेय का निर्धारण किये जाने से संबंधित है, को विश्वविद्यालय में प्रवृत एवं मान्य किये जाने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि, राजभवन एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कार्यवाही की जाए।**	
मद सं. 11	विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में वैद्य श्री चन्द्रकांत चतुर्वेदी, फिजिशियन डॉ0 अशोक गुप्ता एवं होम्योपैथी चिकित्सक डॉ0 पी0 के0 माथुर विगत वर्षों से अंशकालीन आधार पर चिकित्सकीय सेवाएं विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। वर्तमान में तीनों चिकित्सकों को राशि रू. 7000/- प्रतिमाह मानदेय एवं वाहन भत्ता हेतु राशि रु. 1000/- प्रतिमाह (कुल राशि	संस्थापन

	रू. 8000/- प्रतिमाह) का भुगतान किया जा रहा है। उपरोक्त तीनों चिकित्सकों ने वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें दिए जा रहे मानदेय को प्रतिमाह राशि रू.20,000/- प्रतिमाह देने का प्रतिवेदन माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत किया था। तत्कालीन कुलपति महोदय ने उक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन के आधार पर तीनों चिकित्सकों को प्रतिमाह मानदेय राशि रू. 15,000/- दिए जाने की स्वीकृति प्रबंध बोर्ड के अध्यधीन प्रदान करने के आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2017 को प्रदान किए थे। विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अंशकालीन तीनों चिकित्सकों को प्रति माह समेकित राशि रु.15000/- दिया जाए तथा इनकी सेवाअवधि आगामी एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हों, तक बढाई जाए।**	
मद सं. 12	राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.1(10)(ए)(8) आरबी/2016/1374 दिनांक 16.02.2017 के अनुसार राजकीय विश्वविद्यालयों में अशैक्षणिक संवर्गो हेतु वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित प्रपत्र को अपनाने एवं पत्र क्रमांक एफ.1(10)(ए)(8)आरबी/2016/7605 दिनांक 13.10.2017 के अनुसार संलग्न प्रदर्श-अ को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-29)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एकरूपता रखते हुए यह व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही की जाए।**	
मद सं. 13	विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में आपातकालीन स्थिति में विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को कार्यालय समय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु मेल नर्स श्री जगदीश प्रसाद कच्छावा अपनी सेवाएं विगत तीन वर्षों से निरन्तर प्रदान कर रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों की पालना में मेल नर्स को संविदा पर रखने हेतु निम्नानुसार सेवा शर्तें लागू किया जाना प्रस्तावित है:- **सेवानिवृत मेल नर्स को संविदा पर सेवा में लेने हेतु माननीय कुलपति सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा उनके आदेश प्रबंध बोर्ड को प्रतिवेदित होगें।** 2. ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंड़ित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जावे। 3. केवल ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। 4. संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए । 5. संविदा पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काट लिया जाये। 6. संविदा सेवा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।	संस्थापन

	7. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त माना जावे। 8. चूंकि सेवानिवृत मेल नर्स श्री जगदीश प्रसाद कच्छावा अपनी संतोषप्रद सेवाएं लगातार तीन वर्षों (दिनांक 01-08-2014) से कार्यालय समय (प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक) प्रदान करते आ रहे हैं तथा इनका वर्तमान मासिक समेकित पारिश्रमिक 10000/- (दस हजार रूपये) प्रतिमाह है, जिसे दिनांक 01-08-2017 से 15000/- (पन्द्रह हजार रूपये) प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है एवं दिनांक 01-08-2017 से एक वर्ष के लिये कार्यकाल भी बढ़ाना प्रस्तावित है। विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा सेवानिवृत मेल नर्स श्री जगदीश प्रसाद कच्छावा को समेकित राशि रु.15000/- प्रतिमाह की सेवा अवधि, कार्यवृत जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हों, पूर्व आदेश की निरन्तरता में बढाई जाए।**	
मद सं. 14	विश्वविद्यालय/राज्य सेवा से सेवानिवृत शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में संविदात्मक नियुक्ति प्रदान करने बाबत राज्य सरकार के कार्मिक (क-2)विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94/ दिनांक 26 मई, 2014 में वर्णित निर्देश प्रबंध बोर्ड की आयोजित बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2016 को 89वीं बैठक में प्रवृत्त एवं मान्य किये गये एवं यह भी निश्चय किया गया है कि राज्य सरकार जब-जब उक्त आदेशों में कोई संशोधन करे वे संशोधन इस विश्वविद्यालय में भी प्रवृत्त माने जावें। उक्त के अनुरूप राज्य सरकार के कार्मिक (क-2)विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए-II/94/ दिनांक 11 जुलाई, 2017 के द्वारा सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य करने पर विचार कर निर्णय लेना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-30)**	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय कर पुष्टि की गई।**	
मद सं. 15	वर्तमान में अति महत्वपूर्ण एवं देश हित से संबंधित विषय जैव विविधता के अध्ययन अध्यापन एवं इसके संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय में अंतःविषय आधारित "Center for Study on Biodiversity" (जैव विविधता अध्ययन केन्द्र) की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-31)** पर विचार कर निर्णय करना।	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में "Center for Study on Biodiversity" की स्थापना किए जाने का निर्णय लेते हुए वित्त एवं अन्य बिन्दुओं पर समग्र विचार करने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया :** **1. प्रो. प्रवीण माथुर** **2. प्रो. सुभाष चन्द्र शर्मा** **3. प्रो. अरविन्द पारीक** **4. वित्त नियन्त्रक** **समिति अपनी अनुशंषा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। विश्वविद्यालय में संचालित अन्य केन्द्रों के नियमों में एकरूपता करने का निर्णय लिया गया।**	

मद सं. 16	विश्वविद्यालय के उद्यान निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.12.2017 को दिये गये प्रतिवेदन में निवेदन किया है कि प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 के मद संख्या 40 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में उनका पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक के स्थान पर उद्यान निरीक्षक तुरन्त प्रभाव से करने एवं तदनुसार वेतनमान दिये जाने के संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2009/56254 दिनांक 29.12.2009 जारी किया गया चूंकि उक्त लाभ उन्हें उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से प्रभावी कर दिया जाना था । उद्यान पर्यवेक्षक का पद वर्ष 1992-1993 की बी.एफ.सी. में स्वीकृत किया गया था जिसमें पद का वेतनमान एवं योग्यता राज्य सरकार के अनुरूप रखे जाने का उल्लेख किया गया था एवं राज्य सरकार में उक्त पद की वेतन श्रृंखला 1120-2050 को 1400-2600 एवं पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक के स्थान पर उद्यान निरीक्षक दिनांक 01.02.1992 को संशोधित कर दिया गया था जबकि विश्वविद्यालय में वर्ष 1994 में पुराने वेतनमान एवं पदनाम से ही विज्ञप्ति जारी कर दी गई है । अतः उद्यान पर्यवेक्षक की वेतन श्रृंखला एवं पदनाम उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से परिवर्तित करने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया गया :** 1. **प्रो. प्रवीण माथुर** 2. **वित्त नियन्त्रक** 3. **उपकलसचिव- संस्थापन** **समिति, राज्य सरकार से समरूपता बाबत निर्णय कर अपनी अनुशंषा कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।**	
मद सं. 17	राज्यपाल सचिवालय, राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ (38) आर.बी./ 2015/6462 दिनांक 21.08.2017 के बिन्दु संख्या 4 " विश्वविद्यालय में विभिन्न कर्मचारियों व प्राध्यापकों को विभिन्न गतिविधिवार दिये जाने वाले ओवरटाईम/मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण" के क्रम में **कार्यसूची के परिशिष्ठ-32** के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर करवाया जावे एवं भविष्य में भी राजस्थान विश्वविद्यालय को आधार मानकर इस प्रकार के अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किसी एक कार्मिक को एक शैक्षिक सत्र के लिए रूपये 1.00 लाख से अधिक नहीं किया जावें। जहां भी संभावना हो, अतिरिक्त कार्य बाहय एजेन्सी द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाने की अनुशंषा की है । उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए भी किसी परीक्षक/शिक्षक के प्रदान किये जाने वाला मानदेय 1.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होगा । ध्यातव्य रहे कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही अनुमोदित की गई विभिन्न गतिविधिकार हेतु ओवरटाईम/मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक F 11 (28) Exam/MDSU/2017/9812 Dated 20-04-17 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-33)** के अनुसार भुगतान किया जाता रहा है, जिसमें कार्य को जॉबरेट मानते हुए अतिरिक्त पारिश्रमिक के भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभवन से प्राप्त निर्देशों की यथावत् पालना सुनिश्चित**	

	की जाए।	
मद सं. 18	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प-18 (2) शिक्षा-4/2014 विविध दिनांक 09.11.2017 के क्रम में एवं माननीय मंत्री महोदया, उच्च शिक्षा की अ.शा.टीप 1790 दिनांक 11.10.2017 के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पधारने वाले अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह (मोमेन्टो) के स्थान पर उनके कर कमलों से कम से कम एक वृक्ष का रोपण कराया जावें तथा वृक्ष के साथ उनकी फोटो खिंचवाकर विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करवाई जाये । अतः माननीय मंत्री महोदया के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राप्त पत्र की पालना करना सुनिश्चित करें।**	
मद सं. 19	राज्यपाल सचिवालय, राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.(38) आरबी/ 2015/6462 दिनांक 21.08.2017 के बिन्दु संख्या 1 **"समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में समान कोर्सेज के लिये समान परीक्षा शुल्क"** के क्रम में संलग्नक 1 से पृष्ठ संख्या 02 के अनुसार परीक्षा संबंधी कार्य हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-	परीक्षा नियंत्रक

S.No.	Fee Head	Present Fee	Proposed Fee
1	Enrollment fee	100	200
2	Eligibility fee	100	200
3	Late Enrollment fee	100	200
4	Late Eligibility fee	100	200
5	Transcript fee	500	3000
6	Migration fee	100	150
7	Duplicate Migration fee	100	500
8	Provisional Certificate	100	100
9	Duplicate Mark sheet fee	50	100
10	Ad.Mark sheet Fee	100	200
11	Revaluation Fee (Per Paper)	150	300
12	Scrutiny Fee (Per Paper)	50	150
13	Due Paper Fee (Per Paper)	-	350
14	Cost of Exam. form Supplementary Exam. Form	30	50
15	Confidential Result Fee	100	500
16	Merit Certificate Fee	-	NIL
17	Duplicate Merit Certificate	200	200
18	Degree prior to convocation if completed	-	1500
19	Duplicate Degree	100	500
20	Correction in Date/Entry submitted by student in examination form (within one year)	-	100
21	correction in Data/Entry submitted by student in examination form (After one year)	-	200

अतः उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभवन से प्राप्त पत्र के अनुसार शुल्क निर्धारण कार्यवाही जाए।**	
मद सं. 20	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, (ऑटोनोमस) अजमेर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 26.04.2018 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-34)** के अनुसार विश्वविद्यालय नामांकन विलम्ब शुल्क माफ किए जाने पर विचार करना।	परीक्षा नियंत्रक

निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि, सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर को नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराने हेतु सूचित किया जाए। विलम्ब शुल्क माफ करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**	
मद सं. 21	समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-35)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के कार्यवृत को विद्या परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।**	
मद सं. 22	वित्त समिति की 35वीं बैठक जिसमें 2017-18 के संशोधित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्ताव (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों सहित) पर विचार करना।	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**बोर्ड द्वारा विचार कर अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 23	वित्त समिति की 33वी बैठक जिसमें कि वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्रस्तावों की पुष्टि करना एवं वित्त समिति की 34वीं बैठक जिसमें की वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्रस्ताव और वर्ष 2016- 17 के संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्रस्ताव (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों सहित) पर विचार करना।	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**बोर्ड द्वारा विचार कर अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 24	प्रबन्ध बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 29.08.2016 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-45)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 25	प्रबन्ध बोर्ड की 91वीं बैठक दिनांक 30.05.2017 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-46)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 26	प्रबन्ध बोर्ड की 92वीं बैठक दिनांक 31.07.2017 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-47)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।**	
मद सं. 27	प्रबन्ध बोर्ड की 93वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-48)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।**	
मद सं.28	विश्वविद्यालय क्रय समिति की बैठक दिनांक 27.09.2017 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 4	वित्त एवं लेखा

	पर की गई संस्तुति एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त तत्संबंधी स्वीकृति दिनांक 24.10.2017 के तहत विश्वविद्यालय के भण्डार में रखी विभिन्न प्रकार की अस्थायी प्रकृति की अनुपायोगी/अप्रचलित सामग्री का निस्तारण राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत नीलामी हेतु प्रारम्भ की गई कार्यवाही का अनुमोदन एवं विश्वविद्यालय के Budget Financial and Accounts Rules के अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के संबंध में नियम 182 से 188 तथा निपयम 193 के पश्चात् उल्लेखित Annexure-A में वर्णित वाहनों की न्यूनतम उपयोगिता अवधि के संबंध में विद्यमान प्रावधानों में राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप संशोधन प्रवृत्त किए जाने के संबंध में संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित प्रस्तावित संशोधन बाबत् प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।**	
मद सं.29	राजस्थान सरकार Department of Personal (A-Gr-II) द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(2) DOP/A II/2006 जयपुर दिनांक 30-09-2014 व क्रमांक एफ.7(2) DOP/ A II /2006 पार्ट II जयपुर दिनांक 08-09-2017 के अनुसार अशैक्षणिक कर्मचारियों के पदनाम निम्नानुसार संशोधित किये गये है:- 1. वरिष्ठ लिपिक से लिपिक ग्रेड-I एवं लिपिक ग्रेड- I से वरिष्ठ सहायक। 2. कनिष्ठ लिपिक से लिपिक ग्रेड-II एवं लिपिक ग्रेड- II से कनिष्ठ सहायक। इसी क्रम में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अशैक्षणिक कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के Shedule II (Reference Rule 7 Chapter II), (B) Ministerial Services (Central & Other Offices) की अनुसूची (f&g) में वर्णित वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पदनाम भी निम्नानुसार संशोधित किये जाने है:- 1. अनुसूची (f) के अनुसार वरिष्ठ लिपिक से लिपिक ग्रेड-I एवं लिपिक ग्रेड-I से वरिष्ठ सहायक 2. अनुसूची (g) कनिष्ठ लिपिक से लिपिक ग्रेड-II एवं लिपिक ग्रेड-II से कनिष्ठ सहायक । अतः पदनाम परिवर्तित करने हेतु प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	**बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन को स्वीकार किया गया।**	
मद सं.30	आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरबंस लाल द्वारा प्रेषित सूचना आवेदन दिनांक- 29.07.2008 के द्वारा शैक्षणिक अनुभाग से संबंधित वांछित सूचना तत्समय कार्यरत प्रभारी अधिकारी श्री जी0एन0माहेश्वरी, सहायक कुलसचिव द्वारा विलंब से उपलब्ध करवाये जाने के कारण राज्य सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 1561/2008 श्री सुरेन्द्र कुमार बनाम् कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर एवं उक्त अपील के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दायर परिवाद संख्या 163/2009 में आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक- 13.01.2010 के तहत कुलसचिव पर अधिरोपित शास्ति रू. 15000/-के लिए श्री जी0एन0माहेश्वरी सेवानिवृत सहायक कुलसचिव को विलंब से सूचना उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी पाये जाने के आधार पर श्री माहेश्वरी से वसूली योग्य शास्ति की राशि की वसूली श्री जी0एन0माहेश्वरी का सेवानिवृति पश्चात का देहान्त होने एवं उनकी पारिवारिक पेंशन से वसूली का प्रावधान नही होने से अपलिखित किये जाने के संबंध में विचार कर निर्णय करना ।	आरटीआई प्रकोष्ठ

स्पष्टीकरण :-

आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार ने एक सूचना आवेदन दिनांक-29.07.2008 को प्रेषित कर विश्वविद्यालय के सत्र 2000 से 2003 के बी0ए0परीक्षा में प्रवेश के नियम एवं उक्त सत्रों में बी.ए. कम्प्यूटर एप्लीकेशन लेने वाले स्वयंपाठी विद्यार्थियों की सूची मांगी गयी थी। उक्त सूचना आवेदन में से आवेदक को, जो शैक्षणिक अनुभाग से संबंधित सूचना थी, शैक्षणिक अनुभाग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय अपील के पश्चात भी प्रेषित नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप राज0 सूचना आयोग जयपुर द्वारा दिनांक-06.05.2009 को पारित द्वितीय अपील संख्या 1561/2008 के निर्णय में रू. 10000/- की शास्ति अधिरोपित की गयी।

उक्त निर्णय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14871/2009 दायर किया गया जिसमें न्यायालय ने दिनांक-30.11.2009 को स्थगन आदेश पारित किया।

आवेदक सुरेन्द्र कुमार द्वारा आयोग के निर्णय दिनांक- 06.05.2009 की पालना में शैक्षणिक अनुभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के कारण आयोग में परिवाद संख्या 163/2009 दायर किया । उक्त परिवाद के संबंध में राजस्थान सूचना आयोग ने दिनांक- 13.01.2010 को पारित निर्णय में पुनः पूर्व में अधिरोपित शास्ति रू. 10000/- के अतिरिक्त रू. 15000/-की शास्ति अधिरोपित की ।

उक्त परिवाद के निर्णय दिनांक- 13.01.2010 के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मा0 राज0 उच्च न्यायालय में अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4564/2010 दायर किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 06.04.2010 को स्थगन आदेश पारित किया ।

ऊपर अंकित दोनों याचिकाओं 1-एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 14871/2009 एवं 2-एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4564/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 12.01.2017 को पारित निर्णय में राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 1561/2008 के निर्णय दिनांक-06.05.2009 में अधिरोपित शास्ति रू. 10000/- को निरस्त करते हुए परिवाद संख्या 163/2009 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक-13.01.2010 में अधिरोपित शास्ति राशि रू. 15000/- को यथावत रखते हुए रू. 2000/- की कॉस्ट विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलसचिव से वसूल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा परिवाद संख्या 163/2009 में अधिरोपित शास्ति राशि रू. 15000/-की वसूली कर राजस्थान सूचना आयोग में जमा कराने के संबंध में अभिलेख के आधार पर कुलसचिव द्वारा वांछित सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराने के लिए स्व0 श्री जी0एन0 माहेश्वरी, तत्कालीन सहायक कुलसचिव का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ।

इस मध्य उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय द्वारा दायर याचिकाओं के विचाराधीन होने की अवधि में स्व0 श्री माहेश्वरी विश्वविद्यालय सेवा से दिनांक-31.12.2009 को सेवानिवृत हो गये थे एवं सेवानिवृति के पश्चात दिनांक 29.04.2013 को उनका देहान्त हो चुका है । चूंकि यह व्यक्तिगत वसूली का प्रकरण है, जो प्रक्रियानुसार पेंशनर से उसके जीवनकाल में ही की जा सकती है एवं पेंशनर की

मृत्यू के पश्चात उसकी पारिवारिक पेंशन से वसूली किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, वित्त एवं लेखा अनुभाग के अभिलेख के अनुसार श्री माहेश्वरी की मृत्यू के पश्चात उनके किसी भी वारिस के नाम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है अतः वित्त नियंत्रक द्वारा परीक्षण कर सुझाव दिया गया है कि अपलेखन की कार्यवाही उचित

	है। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में रू. 2000/- की कॉस्ट तत्कालीन कुलसचिव श्री एन0के0शर्मा, आर.ए.एस. द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करा दी गई है एवं विश्वविद्यालय द्वारा उक्त राशि आयोग में प्रेषित की जा चुकी है एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-20.05.2017 की अनुपालना मे कार्यालय आदेश कमांक एफ ( )RTI Cell/ वसूली/मदसविवि/2017/15-R/12898 दिनांक-30.06.2017 जारी किया जाकर उक्त शास्ति रू. 15000/-जरिये डी.डी. संख्या 870981 दिनांक- 11.07.2017 विश्वविद्यालय कोष से आयोग में जमा करवाई जा चुकी है। अतः माननीय कुलपति महोदय के दिनांक-20.05.2017 के आदेशानुसार स्व0 श्री जी.एन. माहेश्वरी सेवानिवृत सहायक कुलसचिव के सेवानिवृति पश्चात देहावसान होने की स्थिति में उनके विरूद्ध वसूली योग्य शास्ति राशि रू. 15000/- की वसूली संभव नहीं होने के कारण एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना की बाध्यता होने के कारण उक्त राशि विश्वविद्यालय कोष से राज्य सुचना आयोग, जयपुर में जमा करवाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है एवं स्व. श्री जी.एन. माहेश्वरी, सेवानिवृत सहायक कुलसचिव से वसूली योग्य राशि रू. 15000/- अपलेखन (Write Off) किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-49)**	
	बोर्ड द्वारा राशि रु15000/- का अपलेखन करने का निर्णय लिया गया।	
मद सं.31	विश्वविद्यालय की अधिसूचना कमांक एफ. () मदसविवि/शैक्ष/ 2008/35861-908 दिनांक 28.07.08 द्वारा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवंटित सीट अभिवृद्धि से संबंधित M.D.S. University Regulations for increase of seats लागू है। इस Regulations में निम्नांकित संशोधनों पर विचार करना:- **Reg.3**-An affiliated college of the University other than the Teachers Training College desires to get increased the allotted seats for courses of study for PG/UG courses should make an application on the prescribed application form to the Registrar , alongwith a copy of the resolution of the governing council of the college in respect of the proposed increase of the seats and also remitting to the University inspection fee of Rs. 20,000/- per course for the purpose, either depositing cash to the cash counter of the University or through a demand draft in favour of the Registrar, M.D.S. University, Ajmer . **Reg.8**-The Registrar shall issue letter to the Principal of the college concerned informing therewith numbers of seats increased and the Principal of the college concerned shall make admission only after depositing a fee @ of the 100% amount of the fee of the affiliation fee prescribed for the said per course to the University as fee for increase of the seats with section/within section . अध्यादेश 70-ए के प्रावधानानुसार सम्बद्धता/ सीट अभिवृद्धि हेतु महाविद्यालयों द्वारा आवेदन तथा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर है। आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.4(406)अकाद/ अकाशि/ 2013-2014/ 950 दिनांक 6 मार्च, 2018 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि हेतु राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र	शैक्षणिक-II

	जारी किया गया था। उक्त पत्र 31 दिसम्बर, 2017 के बाद जारी हुआ है अतः राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2018-19 में सीट अभिवृद्धि का नियमानुसार आवेदन व शुल्क जमा कराने हेतु 31 दिसम्बर की तिथि में शिथिलता प्रदान करते हुए 31 जुलाई 2018 तक की समयावधि निर्धारित करने पर विचार करना।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचार करने हेतु निम्नानुसार एक समिति बनाने का निर्णय लिया :** 1. डीन - महाविद्यालय 2. वित्त नियन्त्रक 3. उपकुलसचिव - शैक्षणिक, सदस्य सचिव समिति विस्तृत विचार विमर्श कर अपनी अनुशंषा कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।	
मद सं. 32	विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की 48वी बैठक दिनांक 05.06.2018 के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-50)	अभियन्ता कार्यालय
निर्णय	**बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई एवं अब तक शेष रहे भवनों का handed over/taken over, बकाया राशि के भुगतान व उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि का परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार एक समिति बनाने का निर्णय लिया :** 1. प्रो. आशीष भटनागर 2. डॉ. आशीष पारीक 3. वित्त नियन्त्रक 4. उपकुलसचिव - सामा. प्रशा., सदस्य सचिव समिति विस्तृत विचार विमर्श कर अपनी अनुशंषा कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी।	
मद सं. 33	विश्वविद्यालय में जैव कौशल एवं जैव उद्यमिता केन्द्र (Bioskills and Bioenterprises Centre) की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय करना। (कार्यसूची का परिशिष्ठ-51)	सूक्ष्म जीवविज्ञान विभाग
निर्णय	**बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में "Bio-skills and Bio-enterprises Centre" की स्थापना किए जाने का निर्णय लेते हुए वित्त एवं अन्य बिन्दुओं पर समग्र विचार करने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया :** 1. प्रो. प्रवीण माथुर 2. प्रो. आशीष भटनागर 3. प्रो. अरविन्द पारीक 4. वित्त नियन्त्रक समिति अपनी अनुशंषा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।	
मद सं.34	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के पूल अनुभाग में मात्र दो वाहन ही उपलब्ध हैं, जिसमें से एक वाहन माननीय कुलपति महोदय एवं एक वाहन कुलसचिव महोदय हेतु आरक्षित है। उक्त दोनों ही वाहन की स्थिति भी खराब है एवं माननीय कुलपति महोदय के लिए आरक्षित ईनोवा कार दो बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है एवं कुलसचिव महोदय की स्विफ्ट डिजायर भी पुरानी एवं खराब स्थिति में है। इस प्रकार वर्तमान में विश्वविद्यालय में केवल दो वाहन ही उपलब्ध हैं जबकि वाहन परीक्षा नियन्त्रक के कार्यों हेतु एवं वित्त नियन्त्रक के कार्यों से सम्बन्धित एवं विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु दो	

	अतिरिक्त कार की आवश्यकता है। नवीन क्रय की जानी वाली प्रस्तावित दो कार में से एक वाहन कुलपति महोदय के लिए एवं एक वाहन कुलसचिव महोदय के लिए आरक्षित रहेगी। वर्तमान में कुलपति महोदय एवं कुलसचिव महोदय की उक्त उपलब्ध पुरानी कारों का उपयोग परीक्षा नियन्त्रक, वित्त नियन्त्रक एवं विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यो हेतु उपलब्ध ली जाएगी। अतः क्रय हेतु प्रस्तावित नवीन दो वाहनों पर लगभग रु.35.00 लाख व्यय होंगे। अतः दो नए वाहन क्रय किए जाने बाबत मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दो वाहन खरीदे जाएं जिनका specifications उपकुलसचिव - सामान्य प्रशासन की अभिशंषा अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।**	
मद सं.35	राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव, उपकुलसचिव एवं अतिरिक्त कुलसचिव एवं परीक्षा नियन्त्रक के पदों को राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 के प्रावधानानुसार शत-प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने का प्रावधान होने से विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव एवं इससे ऊपर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधकारी वर्षों तक (15 से 20 वर्षों तक) एक ही पद पर कार्यरत रहने को विवशप हैं इससे न केवल अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है बल्कि वेतन श्रंखला के अधिकतम वेतन तक पहुंचने के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ से भी वंचित होना पडतमा है एवं नियुक्ति के पश्चात् एक ही पद पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत होने की स्थिति बनती है। जबकि समस्थिति की राज्य सरकार की केडर आधारित प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए समयबद्ध एवं नियमित पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। अतः विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पदोन्नति का प्रावधान किए जाने के सम्बन्ध में प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिए जाने हु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव एवं उप कुलसचिव के कुल रिक्त पदों के 50% पदों को आन्तरिक पदोन्नति प्रक्रिया से भरे जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया, जो इस बाबत नियम एवं पात्रता का निर्धारण कर अपनी अनुशंषाएँ कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी :** **1. प्रो. प्रवीण माथुर, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड** **2. प्रो. शिवदयाल सिंह, सदस्य प्रबन्ध बोर्ड** **3. उपकलसचिव - संस्थापन, सदस्य सचिव**	
मद सं.36	राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के पत्र क्र.प.1(3)वित्त/सावितोनि/2004 दिनांक 31.10.2006 एवं परिपत्र संख्या 22/2006 के अनुसार विश्वविद्यालय हित में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंकों के द्वारा बैंकिंग व्यवहार करने के प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय करना।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों की तरह छात्र हित में फीस संग्रहण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंकों से करवाने की सहमति प्रदान की।**	

मद सं.37	माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय हित में पूर्व में हुए मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यु. कम्पनी लिमिटेड से एम.ओ.यू. के तहत् 8% छूट का लाभ प्राप्त करते हुए उच्च गुणवत्ता एवं टिकाऊ फर्नीचर क्रय किया जा रहा था। मै. गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यु. कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23 जून, 2018 जिसमें सभी प्रकार के फर्नीचर पर पूर्व में दी गई 8% की छूट के स्थान पर 9% की छूट दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। चूंकि अन्य राजकीय कार्यालयों, उपक्रमों एवं संस्थानों में इसी प्रकार का फर्नीचर क्रय किया जाता है। अतः मै. गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यु. कम्पनी लि. से 9% छूट का लाभ लेते हुए गोदरेज का फर्नीचर क्रय किए जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि, विश्वविद्यालय में फर्नीचर क्रय करने हेतु गोदरेज कम्पनी से प्राप्त पत्र के क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा किस प्रकार क्रय की कार्यवाही की गई है? का अध्ययन करने के लिए प्रो. आशीष भटनागर, वित्त नियन्त्रक एवं उपकुलसचिव-सामा. प्रशासन को नियुक्त किया गया है जो क्रय करने बाबत अपनी अनुशंषा कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे।**	
मद सं.38	श्री राजीव शर्मा, निजी सहायक जो कि वर्तमान में निजी सचिव, कुलपति के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं के द्वारा निजी सचिव के पद पर पूर्ण पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 29 जून, 2018 पर विचार कर निर्णय करना। **स्पष्टीकरण-** श्री राजीव शर्मा, स्टेनोग्राफर ग्रेड-। निजी सहायक कार्यालय आदेश क्रमांक 24961 दिनांक 7.9.2015 के तहत् दिनांक 7.9.2015 से निजी सचिव, कुलपति के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। उक्त पद के सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का विश्वविद्यालय सेवा नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र.30844-94 दिनांक 4.9.2015 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है : "Recruitment depending on Vice Chancellor's choice, through deputation or transfer from the same cadre or by adhoc promotion from Jr. Cadre Seniority should not be the criteria". अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री राजीव शर्मा, जो तदर्थ रूप से निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को पूर्ण रूप से निजी सचिव के पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यक प्रक्रिया करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
मद सं.39	विश्वविद्यालय के योग विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा योग विषय में पीएच.डी. उपाधि पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने बाबत प्राप्त आवेदनपत्र पर विचार करना।	
निर्णय	**विश्वविद्यालय के योग विभाग में अध्यय नरत विद्यार्थी जो योग विषय में पीएच.डी. करने की सुविधा चाहते हैं उनके लिए डॉ. असीम जयन्ती एवं डॉ. लारा शर्मा जो इस विश्वविद्यालय में गत बीस वर्षों से अनुबन्ध पर कार्यरत हैं, को गाईड बनाने हेतु कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं.40	जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति प्रो. आर.के. कोठारी से प्राप्त अ.शा. पत्रांक पं.(557)जरारासंविवि/18/2160 दिनांक 26.6.2018 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	

निर्णय	बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि, श्री प्रतीक, सहायक कुलसचिव जो कि वर्तमान में संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में व्यवस्थार्थ कार्यरत हैं, को अविलम्ब नोटिस जारी किया जाए कि 'वे 15 दिवस में इस विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण करें, अन्यथा स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय आचरण एवं अनुशासन नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।'	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति 31/07/18

कुलसचिव